राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3827/2025

कमलदीप पूनियां

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, झुंझुनू।
4. राम कुमार पूनियां, तहसीलदार, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.08.2025
आदेश की दिनांक : 01.09..2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर तहसील चिड़ावा जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.08.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से तहसीलदार उपनिवेशन, नाचना जिला जैसलमेर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के उद्देश्य से 500 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी भी नायब तहसीलदार के पद पर लीव रिजर्व (निर्वाचन) जिला झुंझुंनू में कार्यरत है (अनुलग्नक–2)। उनका कथन है कि सरकार की नीति अनुसार यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, तो उन्हें एक ही स्थान पर पदस्थापित किया जाना चाहिए। नीति अनुसार अपीलार्थी और उसकी पत्नी दोनों जिला झुंझुंनू में कार्यरत है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग उक्त

स्थानान्तरण नीति के विपरीत जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के 08 माह का छोटा बच्चा है। जिसकी देखभाल अपीलार्थी और उसकी पत्नी ही कर रहे है (अनुलग्नक–3)। ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी का दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण किया जान उचित प्रकट नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.08.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर तहसीलदार के पद पर तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू में समस्त पारिणामिक लाभ सहित कार्य करने दिया जावे।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 06.08.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)